भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 723

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

पॉक्सो अधिनियम

723. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण सहायता उपायों के कार्यान्वयन में देरी के बीच कोई विसंगति है, यह देखते हुए कि पश्चिम बंगाल सहित अधिकांश राज्यों ने अभी भी बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों(एफटीएससी) को शुरू नहीं किया है, जबकि देश भर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और बलात्कार पीड़ितों के मामले बड़ी संख्या में लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सेवाओं को सक्रिय करने में राज्यों की सहायता और निगरानी करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है, जो त्वरित सहायता और न्याय के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से हाल की रिपोर्टों पर विचार करते हुएजो देश भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के संबंध में चिंताजनक आंकड़ों को उजागर करती हैं;और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में कई पहलें की हैं। सरकार ने बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 क्रियान्वित किया है। इस के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा है।

वर्ष 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों और ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड की शुरुआत की जा सके।

इस अधिनियम की धारा 4 में "प्रवेशन लैंगिक हमला" के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यदि हमले के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो धारा 6 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है। धारा 8 में यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाने वालों के लिए न्यूनतम तीन से पांच वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमले के लिए इसे न्यूनतम पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है (किसी व्यक्ति पर कुछ गंभीर परिस्थितियों में इस अपराध का आरोप लगाया जा सकता है जैसे कि यदि बलात्कार विश्वास या अधिकार के रिश्ते में होता है या इससे गर्भधारण होता है इत्यादि)। इस अधिनियम में धारा 14 भी शामिल है जिसके तहत पोर्नोग्राफ़िक उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने पर सात वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और यदि इसमें प्रवेशन लैंगिक हमला शामिल है तो और भी कठोर दंड का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का अधिदेश है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मामलों को अत्यंत तत्परता और संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाता है जो बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति कानून के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके अलावा बच्चों को शोषण और हिंसा और यौन शोषण से बचाने के लिए पॉक्सो नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया। पॉक्सो नियम-3 के तहत यह प्रावधान है कि स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा सहित बच्चों को आश्रय देने वाली या बच्चों के नियमित संपर्क में आने वाली संस्था अपने प्रत्येक कर्मचारी का समय-समय पर पुलिस सत्यापन और उनकी पृष्ठभूमि की जांच कराएगी चाहे वह शिक्षण या गैर-शिक्षण, नियमित या संविदा या कोई भी कर्मचारी हो। ऐसी संस्था को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने नाबालिग गर्भवती बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए निर्भया कोष से "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत पीड़ितों के लिए देखभाल और सहायता योजना" नामक योजना शुरू की है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

i. नाबालिग गर्भवती बालिकाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करना;

ii. दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए उनकी विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच को सुविधाजनक बनाना:

- शिक्षा तक पहुंच,
- पुलिस सहायता,
- चिकित्सा (जिसमें मातृत्व, नवजात और शिशु देखभाल भी शामिल है),
- मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श,
- कानूनी सहायता,
- गैर-संस्थागत देखभाल सहायता, बाल देखभाल संस्थानों/पश्चात देखभाल सुविधाओं में रहने का स्थान, और
- पीड़ित बालिकाओं और उनके नवजात शिशु के लिए एक ही स्थान पर स्वास्थ्य बीमा कवर ताकि ऐसी पीड़ित बालिकाओं को न्याय प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) भी राज्य पुलिस विभागों के माध्यम से महिलाओं से संबंधित ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई करता है।

इसके अलावा, न्याय विभाग (डीओजे) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीओजे अक्टूबर 2019 से बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के निपटान के लिए 389 विशेष पोक्सो न्यायालयों (ई-पोक्सो) सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30.09.2024 तक 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 408 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यशील हैं। इन न्यायालयों ने 281000 से अधिक मामलों का निपटान किया है। वर्ष 2019-20 में विशेष पॉक्सो न्यायालयों की संख्या 272 से बढ़कर 30.09.2024 तक 408 हो गई है। इस योजना की शुरुआत से अब तक विशेष पॉक्सो न्यायालयों ने 1,80,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक निपटाए गए पॉक्सो के कुल मामलों के साथ-साथ कार्यशील विशेष पॉक्सो न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"पॉक्सो अधिनियम" के संबंध में श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 723 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण, जिसमें योजना की शुरुआत से लेकर अब तक निपटाए गए पॉक्सो के कुल मामलों के साथ-साथ कार्यशील विशेष पॉक्सो न्यायालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण दिया गया है (30.09.2024 तक)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कार्यशील न्यायालय**	
		कार्यशील विशेष पॉक्सो न्यायालय	**योजना की शुरुआत से लेकर अब तक विशेष पॉक्सो न्यायालयों द्वारा निपटाए गए कुल मामलें**
1.	अरुणाचल प्रदेश	16	5655
2.	असम	17	6837
3.	बिहार	46	13400
4.	चंडीगढ़	0	0
5.	छत्तीसगढ़	11	4386
6.	दिल्ली	11	1484
7.	गोवा	0	34*
8.	गुजरात	24	10871
9.	हरियाणा	12	5065
10.	हिमाचल प्रदेश	3	1222
11.	जम्मू और कश्मीर	2	126
12.	झारखंड	16	5209
13.	कर्नाटक	17	7217

14.	केरल	14	6761
15.	मध्य प्रदेश	57	24022
16.	महाराष्ट्र	4	11913
17.	मणिपुर	0	0
18.	मेघालय	5	609
19.	मिजोरम	1	66
20.	नागालैंड	0	3*
21.	ओडिशा	23	10638
22.	पुद्दुचेरी	1	101
23.	पंजाब	3	2157
24.	राजस्थान	0	11180*
25.	तमिलनाडु	14	8142
26.	तेलंगाना	0	2731*
27.	त्रिपुरा	1	195
28.	उत्तराखंड	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	74	40146
30.	पश्चिम बंगाल	6	184
	कुल	**408**	**1,80,354**

*पॉक्सो मामले का निपटान एफटीएससी द्वारा किया जा रहा है।

******